कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक एफ.10(11)कार्मिक/क-2/75 जयपुर, दिनांक 1-12-2001

# प रि प त्र

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व पात्रता सूची में अंकित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय जांच/अभियोजन की स्थिति ज्ञात की जाती है। किन्तु प्राय: यह देखा गया है कि संवर्ग में एक ही नाम के एक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी होने के कारण विचारण सीमा में आने वाले वास्तविक व्यक्ति की रिपोर्टिंग नहीं की जाकर उसी समान नाम के अन्य व्यक्ति की विभागीय जांच/अभियोजन लम्बित होने की रिपोर्टिंग करदी जाती है। इस प्रकार की गई गलत रिपोर्टिंग के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचारण सीमा में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की सिफारिश हो जाती है। जब वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है तो नियुक्ति अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की त्रुटियों का निराकरण हेतु कार्मिक विभाग से यह परामर्श लिया जाता है कि इस त्रुटि को सुधारने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा का पुनरावलोकन किया जावे अथवा नहीं ?

उक्त बिन्दु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया तथा यह निर्णय लिया गया है कि जिस त्रुटि के कारण विभागीय पदोन्नति समिति का निर्णय सारत: प्रभावित नहीं होता है, उसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं का पुनरावलोकन किया जाना आवश्यक नहीं है। चूंकि इस प्रकार के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का चयन कर लिया गया है किन्तु विभागीय जांच/अभियोजन के लम्बित होने की गलत रिपोर्ट के आधार पर उसका चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा करदी गई है अत: ऐसे प्रकरणों में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं का पुनरावलोकन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वास्तविक रूप में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच/अभियोजन लम्बित ही नहीं है और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पूर्व में की गई अनुशंसा सारत: यथावत रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है।

...2

63/2001

अतः सभी नियुक्ति अधिकारियों को निर्दिष्ट किया जाता है, कि इस प्रकार की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा का पुनरावलोकन करनें का प्रस्ताव सहमति हेतु कार्मिक विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है वरन् सम्बन्धित व्यक्ति का बन्द लिफाफा खोलते हुए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंषा की क्रियान्विती/ पालना करदी जावे ।।

(आर. के. सत्या राम)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर सहित) ।
3- शासन सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर ।
3- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
4- पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
5- महालेखाकार, लेखा एवं परीक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
6- सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रु.7) विभाग को 9 प्रति सहित ।
7- रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

63/2001